# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

**राजीव गांधी विधा भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल**
**जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17**
फोन न. 0141–2715518, Email :- rajsmsa.girlsedu@rajasthan.gov.in

क्रमांकः रास्कूशिप / जय / बालिका शिक्षा / 2019–20 / 5112-A  दिनांकः 16.09.2022

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिले।

संशोधित पत्र

**विषय :– वार्षिक कार्य योजना एवं बजट सत्र 2022–23 बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजन के संबंध में सत्र 2022–23 हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश।**
**संदर्भ :– मार्गदर्शिका क्रमांक 2978 दिनांक 12.07.2022 के क्रम में।**

**भाग–1**
**(किशोरी शैक्षिक उत्सव आयोजन)**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2022–23 के लिये **समस्त जिला, ब्लॉक एवं पीईईओ स्तर पर किशोरी मेले का आयोजन किया जाना है।** इस हेतु राज्य स्तर पर मुख्य संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण दिनांक 22 अगस्त से 01 सितम्बर 2022, एचसीएम रीपा में आमुखीकरण किया जा चुका है। जिसमें किशोरी शैक्षिक उत्सव आयोजन के संबंध में राजू–मीना–गार्गी मंच का गठन एवं संचालन, जेण्डर संवेदीकरण पर विषय आधारित एवं गतिविधि आधारित विभिन्न सत्रों के माध्यम से आमुखीकरण किया जा चुका है। जिला स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक से 04 दक्ष प्रशिक्षकों (एसीबीओ, आर.पी, पीईईओ, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, व्याख्याता) का तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। तदुपरांत ब्लॉक स्तर पर दक्ष प्रशिक्षकों के माध्यम से संलग्न एजेण्डा अनुसार प्रत्येक विद्यालय से संस्थाप्रधान का आमुखीकरण किया जाना है। प्रशिक्षण एजेण्डा में बाल–सुरक्षा एवं जेण्डर संवेदीकरण दोनों विषयों को समाहित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु समयसीमा एवं बजट के संदर्भ में दिशा–निर्देश पृथक से प्रदान किये जा सकेगें। किशोर–किशोरियों की रचनात्मक प्रतिभा को एक मंच प्रदान किये जाने की दृष्टि से निम्नानुसार **किशोरी शैक्षिक उत्सव 2022** का आयोजन किया जाना है :–

| कार्यक्रम की तिथि | सहभागिता | गतिविधि का स्तर (उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक हेतु पृथक श्रेणी ) |
|---|---|---|
| 15–21 सितम्बर | समस्त स्तर | बच्चों तक सूचनाओं को भेजा जाना।<br>इच्छुक छात्राओं (एकल) एवं छात्र–छात्रों (सामूहिक) को प्रोजेक्ट चिन्हित करना। |
| | | बच्चों द्वारा मॉडल / गतिविधि की तैयारी करना। |
| 22 सितम्बर<br>बच्चों द्वारा<br>(मीना दिवस–24 सितम्बर के उपलक्ष्य में) | विद्यार्थियों द्वारा पीईईओ स्तर पर | समस्त विद्यालयों में विद्यार्थी समूह (बालक एवं बालिका) द्वारा स्टॉल हेतु मॉडल / गतिविधि की प्रस्तुति। |
| 27–29 सितम्बर | ब्लॉक आयोजन से पूर्व तैयारी | पीईईओ से प्राप्त समस्त प्रथम प्रस्तुतियों की समीक्षा एवं प्रत्येक तीनों जोन के अर्न्तगत श्रेष्ठ तीन प्रस्तुतियों का चयन एवं प्रथम प्रस्तुति को ब्लॉक हेतु भेजा जाना।<br>प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन के अन्तर्गत प्रथम तीन प्रस्तुति को पुरस्कार वितरण के संदर्भ में आवश्यक तैयारी। |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 30 सितम्बर | ब्लॉक स्तर पर आयोजन | पीईईओ स्तर पर समस्त प्रस्तुतियों की समीक्षाकर प्रत्येक जोन में श्रेष्ठ प्रस्तुति को चिन्हित करना।<br>प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन के अन्तर्गत भाग लेने वाले समस्त छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन–पत्र एवं प्रथम तीन स्टॉल/प्रस्तुति को प्रशस्ति–पत्र। |
| 01–09 अक्टूबर | जिला स्तर पर तैयारी | सभी ब्लॉक से प्राप्त श्रेष्ठ प्रस्तुतियों की समीक्षा करते हुए तीनों जोन में प्रथम तीन प्रस्तुति का चयन एवं प्रथम प्रस्तुति को राज्य हेतु भेजा जाना।<br>प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन के अन्तर्गत प्रथम तीन प्रस्तुति को पुरस्कार। |
| 11 अक्टूबर | राज्य/जिला | प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में चिन्हित प्रथम प्रस्तुति का अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बालिका सम्मान समारोह। |
| 15 अक्टूबर | | जिला स्तर से प्रतिवेदन तैयार कर राज्य स्तर को उपलब्ध करवाना। |

सभी पीईईओ से अपेक्षा है कि वे विभिन्न नवाचारों का प्रयोग करते हुए मॉडल/गतिविधि/प्रस्तुति को तैयार करें। प्रत्येक विद्यालय सभी बच्चों को प्रोत्साहित करेगा जिसमें शिक्षक बच्चों को गाईडेन्स भी प्रदान करेंगे। विद्यालय बच्चों को आवश्यक सामग्री को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगा।

सभी जोन में बच्चों द्वारा की जाने वाली प्रस्तुति को शैक्षिक मेले में प्रदर्शित किये जाने वाली स्टॉल के रूप में दिखाया जाये। जिसमें शिक्षक एवं प्रस्तुत करने वाले छात्रा–छात्र सम्मिलित होंगे।

**प्रारम्भिक श्रेणी एवं माध्यमिक श्रेणी में तीन जोन निम्नानुसार होंगे –**

(1) उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु किशोरी शैक्षिक–उत्सव

चयनित विद्यार्थी शिक्षक के दिशा निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर स्टॉल प्रदर्शित करेंगे।

| **जोन–1** | **जोन–2** | **जोन–3** |
|---|---|---|
| हिन्दी | गणित | सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में |
| अंग्रेजी | विज्ञान | स्वास्थ्य एवं हाईजीन/बाल अधिकार, सुरक्षा एवं अन्य |

(2) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु जीवन की तैयारी समारोह

| **जोन–1** | **जोन–2** | **जोन–3** |
|---|---|---|
| हिन्दी<br>अंग्रेजी<br>दस्तावेजों पर समझ | गणित<br>विज्ञान<br>स्कॉलरशिप एवं योजनाएं | सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में करियर की तैयारी/बाल अधिकार, सुरक्षा एवं अन्य |

**(नोट :– उक्त गतिविधि को तीनों जोन में विद्यार्थियों की इच्छानुसार भाग लिया जा सकेगा।)**

उपरोक्त गतिविधि के आयोजन हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें –

- **किशोरी शैक्षिक उत्सव (किशोरी मेला) 2022–23 – अकादमिक मेला एवं जीवन की तैयारी, का आयोजन कया जाना है।** इस हेतु प्रत्येक जिला समस्त विद्यालयों को पीईईओ के नेतृत्व में अपने विद्यालय क्षेत्र में बच्चों को स्टॉल तैयार करने हेतु प्रेरित करे। सभी बच्चों की प्रस्तुति को पोस्टर, मॉडल, विडियो, फोटोग्राफ्स, गेम्स, पहेली जैसे अनेक माध्यमों से की जा सकेगी।

- बच्चों को मॉडल गतिवधि–स्टॉल निर्माण में आवश्यक सामग्री हेतु प्रत्येक पीईईओ (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र के समस्त विद्यालयों हेतु 4500/– रुपये की एकमुश्त राशि देय होगी। इस राशि का उपयोग मेले में लगाये जाने वाली सामूहित रूप से लगाई जाने वाली स्टॉल, स्टेशनरी एवं अन्य एवं साज–सज्जा हेतु उपयोग किया जा सकेगा। मेला पीईईओ स्तर पर ही आयोजित किया जायेगा, जिसमें पीईईओ अधीनस्थ अन्य विद्यालयों से विद्यार्थी सामूहिक रूप में स्टॉल लगा सकेगें। स्टॉल में उपयोग आने वाली आवश्यक स्टेशनरी हेतु विद्यार्थी पीईईओ विद्यालय से राशि प्राप्त करेगें। पीईईओ विद्यालय यथासंभव 4500/– रूपये में से 2000/– रूपये का उपयोग स्टेशनरी इत्यादि पर एवं 2500/– रूपये की राशि का उपयोग स्टॉल एवं किशोरी शैक्षिक उत्सव को मेले रूपी आयोजन के रूप में किया जा सकेगा। इस उत्सव में पीईईओ क्षेत्र के समस्त विद्यार्थी मेले में हिस्सा ले सकते है।
- सभी इच्छुक एवं रचनात्मक प्रतिभा युक्त विद्यार्थी इसमें प्रतिभाग कर सकेंगे। सामूहिक प्रस्तुति में छात्र एवं छात्राएँ दोनों भाग ले सकेंगे।
- प्रारम्भिक एवं माध्यमिक श्रेणी में तीनों जोन में श्रेष्ठ प्रस्तुतियों हेतु प्रत्येक स्तर पर – पीईईओ, ब्लॉक एवं जिला स्तर, निर्णायक समिति का गठन किया जाये। स्टॉल के थीम, अवधारणा की स्पष्टता, उपयोग, प्रजेन्टेशन, इत्यादि हेतु 65 प्रतिशत अंक, बच्चे/समूह की प्रस्तुति पर 10 प्रतिशत अंक, प्रस्तुति में नवाचारी तरीकों के प्रयोग पर 20 प्रतिशत अंक एवं तकनीक के प्रयोग पर 5 प्रतिशत अंक रखे जायें।
- उत्सव के आयोजन हेतु सभी स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाये। जिस हेतु व्हाट्सअप ग्रुप, बैनर, फ्लैक्स, स्थानीय समाचार पत्र आदि का प्रयोग किया जाये।
- जिले पूरी प्रक्रिया का अधिकतम डॉक्यूमेन्टेशन कर परिषद कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- बच्चों की प्रस्तुतियों का विद्यालय स्तर का विडियो बनाकर उसे सुरक्षित रखा जाये। जिला जिले की श्रेष्ठ प्रस्तुतियों का अच्छी गुणवत्ता वाला विडियो पुनः बनाने हेतु निर्णय ले सकेगा किन्तु इसमें मूल प्रस्तुति से छेड़डाड़ नहीं की जाये।
- प्रत्येक स्तर पर किये गये कार्य की रिर्पोट परिषद कार्यालय को कार्य समाप्ति पर सूचित की जाये।

**वित्तीय प्रावधान**

<table>
<tr><th></th><th>विवरण</th><th>राशि रुपये में</th></tr>
<tr><td>1</td><td>छात्रों द्वारा मॉडल निर्माण के सामग्री क्रय हेतु एवं सहभागिता प्रमाण–पत्र सभी संभागियों हेतु पीईईओ द्वारा स्टेशनरी सामग्री एवं मॉडल हेतु विद्यार्थियों को सामग्री प्रदान करना एवं स्टॉल एवं टेन्ट की व्यवस्था हेतु।</td><td>4500/– प्रति पीईईओ शहरी एवं ग्रामीण</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पुरस्कार ब्लॉक स्तर (तीनों जोन हेतु पृथक)
<table>
<tr><td>प्रारंभिक शिक्षा</td><td>माध्यमिक शिक्षा</td></tr>
<tr><td>प्रथम पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td><td>प्रथम पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td></tr>
<tr><td>द्वितीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td><td>द्वितीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td></tr>
<tr><td>तृतीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td><td>तृतीय पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र</td></tr>
</table></td><td>
<table>
<tr><td>श्रेणी 6–8</td><td>श्रेणी 9–12</td></tr>
<tr><td>500</td><td>500</td></tr>
<tr><td>300</td><td>300</td></tr>
<tr><td>200</td><td>200</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>कुल योग</td><td></td></tr>
</table>

## भाग–2
## जिला स्तरीय कार्यशाला (अर्न्तराष्ट्रीय बालिका दिवस–11 अक्टूबर 2022)

जिला स्तर पर बालिकाओं को प्रोत्साहित किये जाने के उददेश्य से जिला स्तरीय बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम ''मेरी बेटी मेरा सम्मान'' का आयोजन किया जाये। जिसमें किशोरी शैक्षिक उत्सव में विजेता बालिकाओं को सम्मानित किये जाने के साथ–साथ प्रत्येक केजीबीवी/राजकीय विद्यालय/मॉडल स्कूल से मेधावी एवं विशेष उपलब्धि (खेल, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, अन्य सामाजिक सरोकार में श्रेष्ठ) प्राप्त छात्राओं को सम्मानित किया जाये। इस हेतु प्रति जिला 100 बालिकाओं की चयन सूची तैयार की जाये। ये बालिकाएं किशोरी शैक्षिक उत्सव में तीनों जोनों में प्रति जोन प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को सम्मिलित किया जाये। ब्लॉक स्तर पर इस हेतु प्रति जिला 2.00 लाख (दो लाख रूपये) रूपये का बजट निर्धारित है। जिसका बजट विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र.सं. | गतिविधि | यूनिट कोस्ट | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (हजार में) | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आईईसी/प्रचार–प्रसार की सामग्री<br><br>(सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से होर्डिंग, बैनर) | 1000 | जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर होर्डिग, आमंत्रण पत्र एवं बैनर आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार | 10000/– | |
| 2 | केस स्टडी रोल मॉडल कार्यक्रम दौरान प्रदर्शन हेतु | – | 15 | 10000/– | |
| 3 | कार्यक्रम में सम्मान प्राप्त करने वाली बालिकाओं का चयन एवं सूची तैयार करना (जिला स्तरीय समिति द्वारा) | – | 100 | – | गैर वित्तीय |
| 4 | सभागार/टैन्ट व्यवस्था/माईक/साउंड व्यवस्था हेतु | – | 01 | 30000/– | आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार |
| 5 | बैनर/स्टेन्डीज/सफल कहानियों का डिजिटल डिस्पले | – | | 15000/– | |
| 6 | अल्पाहार एवं भोजन<br><br>(100 बालिकाएं एवं 50 अन्य अतिथि, स्टॉफ इत्यादि) | 250 | 150 | 37500/– | |
| 7 | फ्रेम सर्टिफिकेट, टीशर्ट, कैप एवं सेश (साईड रिबिन) | 750 | 100 | 75000/– | |
| 8 | किशोरी मेला, अध्यापिका मंच स्टॉल और आत्मरक्षा प्रशिक्षण डेमोस्ट्रेशन | – | | 7500/– | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | मीडिया कवरेज / फोटोग्राफी / विडियोग्राफी | – | | 10000 / – | |
| 10 | अन्य | – | | 5000 / – | |
| | **कुल बजट** | | | **200000 / – दो लाख रूपये** | |

अतः कार्यक्रम आयोजन स्थल के संबंध में संलग्न एक्सेल शीट में सूचना भिजवाई जाये ताकि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिला प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यक्रम में संबलन प्रदान किया जा सकेगा।

इस हेतु पृथक से विस्तृत रूप में एजेण्डा एवं बजट शीट संलग्न है।

**नोट :– समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी की पालना करते हुए गतिविधियों का आयोजन किया जायें।**

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

- जिस मद के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में किया जाये।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- राशि का उपयोग, योजना के दिशा–निर्देश, एमएचआरडी की गाईडलाईन एवं लोक उपापन में पादरर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

**(डॉ0 मोहन लाल यादव)**
**राज्य परियोजना निदेशक**

**प्रतिलिपि :आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. निजी सहायक, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, द्वितीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित ब्लॉक।
6. समस्त पीईईओ।
7. संबंधित सहयोगी संस्थाएं, बालिका शिक्षा प्रकोष्ठ।
8. विषय विशेषज्ञ, यूनिसेफ सलाहकार।
9. रक्षित पत्रावली।

**(शीलावती मीणा)**
**अति. राज्य परियोजना निदेशक–2**